# हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 3 नवम्बर, 2006

संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/पी०पी०टी० (एस०एम०के०)ए०सी०ए०-II/ए/2006/3259.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये समालखा शहर जिला पानीपत की नगरपालिका की सीमाओं के इर्द-गिर्द आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर के अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात

## अनुसूची

समालखा शहर, जिला पानीपत की नगरपालिका की सीमाओं के इर्द-गिर्द के अतिरिक्त नियंत्रित सीमाओं की अनुसूची ड्राईंग संख्या डी॰टी॰पी॰ (पी॰एन॰) 300/2006, दिनांक 2 मई, 2006 के साथ पढ़ा जाये।

बिन्दु 'ए' से आरम्भ करते हुए, जोकि देहली पैरलल ब्रांच नहर के पूर्व की ओर तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या 10 डी०पी०/82/3162, दिनांक 23 फरवरी, 1982 द्वारा घोषित तथा दिनांक 27 अप्रैल, 1982 को प्रकाशित पानीपत शहर के इर्द-गिर्द अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र भाग-11 पहले से ही घोषित सीमा पर स्थित गांव नारायणा (हदबस्त संख्या 47) की उत्तरी राजस्व सीमा का मिलन बिन्दु है तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या 10 डी०पी०/82/3163, दिनांक 23 फरवरी, 1982 द्वारा घोषित तथा दिनांक 27 अप्रैल, 1982 को प्रकाशित अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र भाग-III पूर्व की ओर, पानीपत की सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र भाग III की सीमा तथा गांव पसीना खुर्द (हदबस्त संख्या 49) की आयत संख्या 12 की पूर्वी सीमा से मिलती है। तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव पसीना खुर्द (हदबस्त संख्या 49) की आयत संख्या 12 तथा 33 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर गांव पसीना खुर्द (हदबस्त संख्या 49) की आयत संख्या 37 तथा 36 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव पसीना खुर्द (हदबस्त संख्या 49) की राजस्व सीमा के साथ-साथ, उस बिन्दु तक जहां गांव शिमला गुजरान (हदबस्त संख्या 51) की राजस्व सीमा तथा गांव पसीना खुर्द (हदबस्त संख्या 49) की आयत संख्या 64 की उत्तरी सीमा से मिलती है। उसके बाद पूर्व की ओर गांव शिमला गुजरान (हदबस्त संख्या 51) की आयत संख्या 33, 34 तथा 35 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव शिमला गुजरान (हदबस्त संख्या 51) की आयत संख्या 35 तथा 47 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर गांव शिमला गुजरान (हदबस्त संख्या 51) की आयत संख्या 53 तथा 54 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव शिमला गुजरान (हदबस्त संख्या 51) की आयत संख्या 54 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर गांव शिमला गुजरान (हदबस्त संख्या 51) की आयत संख्या 62 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव शिमला गुजरान (हदबस्त संख्या 51) की आयत संख्या 62 तथा 68 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर गांव बिहोली (हदबस्त संख्या 66), गांव ताज<mark>पुर (हदबस्त संख्या</mark> 65), गांव शहरमालपुर (हदबस्त संख्या 64), तथा गांव मतनौली (हदबस्त संख्या 75) की राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जोकि गांव मतनौली (हदबस्त संख्या 75) की आयत संख्या 5 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर गांव मतनौली (हदबस्त संख्या 75) की आयत संख्या 5, 10, 19, 26, 37, 44, 55 तथा 61 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर गांव आटा (हदबस्त संख्या 80) की आयत संख्या 14 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उस बिन्दु तक जहां यह गांव आटा (हदबस्त संख्या 80) की आयत संख्या 14 की पूर्वी सीमा से मिलती है, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव आटा (हदबस्त संख्या 80) की आयत संख्या 14, 23, 34, 44, 55, 69, 77, 91, 95, 105 तथा 107, गांव डिकाडला (हदबस्त संख्या 81) की आयत संख्या 57, 62, 86, 91, 117 तथा 120 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव देहरा (हदबस्त संख्या 85) तथा गांव महावटी (हदबस्त संख्या 89) की पूर्वी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जहां जिला सोनीपत की सीमा से मिलती है।

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से पश्चिम की ओर जिला सोनीपत की जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक, अर्थात् वह बिन्दु जहां जिला सोनीपत की जिला सीमा देहली पैरलल ब्रांच नहर की पूर्वी सीमा से मिलती है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर देहली पैरलल ब्रांच नहर के पूर्वी छोर के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

#### HARYANA GOVERNMENT

# TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

#### Notification

The 3rd November, 2006

No. CCP(NCR)/PPT(SMK)/ACA-II/A/2006/3259.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Subsection (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the additional controlled area around Municipal limits of Samalkha Town, District Panipat within a distance of eight kilometers as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:—

### SCHEDULE

Schedule of boundary of the additional controlled area around Municipal limits of Samalkha Town, District Panipat to be read with Drawing No. DTP (PN)300/2006, dated the 2nd May, 2006.

Starting from point 'A' i.e. the junction of eastern side of Delhi Parallel Branch Canal and northern revenue boundary of village Narayana (Hadbast No. 47) located on the boundary of already declared additional controlled area part II around Panipat town declared vide notification No. 10, DP-82/3162, dated the 23rd February, 1982, towards east along boundary of additional controlled area part II, Panipat published on dated the 27th April, 1982 and additional controlled area part III, declared vide notification No. 10DP-82/3163, dated the 23rd February, 1982 up to the point where the boundary of the additional controlled area part III meets with the eastern boundary of the rectangle No. 12 of village Pasina Khurd (Hadbast No. 49), thence towards south along the eastern boundary of the rectangle No. 12 and 33 of village Pasina Khurd (Hadbast No. 49), thence towards east along the northern boundary of the rectangle no. 37 and 36 of village Pasina Khurd (Hadbast No. 49), thence towards south along the revenue boundary of the village Pasina Khurd (Hadbast No. 49) up to the point where the boundary of the village Simla Gujran (Hadbast No. 51) meets with the northern boundary of the rectangle No. 64 of village Pasina Khurd (Hadbast No. 49), thence towards east along the northern boundary of the rectangle No. 33, 34 and 35 of village Simla Gujran (Hadbast No. 51), thence towards south along the eastern boundary of the rectangle No. 35 and 47 of the village Simla Gujran (Hadbast No. 51), thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 53 and 54 of village Simla Gujran (Hadbast No. 51), thence towards south along the eastern boundary of the rectangle No. 54 of village Simla Gujran (Hadbast No. 51), thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 62 of village Simla Gujran (Hadbast No. 51), thence towards south along the eastern boundary of rectangle No. 62 and 68 of village Simla Gujran (Hadbast No. 51), thence towards east along the revenue boundaries of village Biholi (Hadbast No. 66), village Tajpur (Hadbast No. 65), village Shahar Malpur (Hadbast No. 64) and village Matnoli (Hadbast No. 75) up to point 'B' which is north-east corner of rectangle No. 5 of village Matholi (Hadbast No. 75).

East : Thence from point 'B' towards south along the eastern boundary of rectangle No. 5, 10, 19, 26, 37, 44, 55 and 61 of village Matnoli (Hadbast No. 75), thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 14 of village Atta (Hadbast No. 80) upto the point where it meets the eastern boundary of rectangle No. 14 of village Atta (Hadbast No. 80), thence towards south along the eastern boundary of rectangle No. 14, 23, 34, 44, 55, 69, 77, 91, 95, 105 and 107 of village Atta (Hadbast No. 80), rectangle No. 57, 62, 86, 91, 177 and 120 of village Dikadla (Hadbast No. 81), thence towards south along the eastern revenue boundaries of village Dehra (Hadbast No. 85) and village Mahavati(Hadbast No. 89) up to point 'C' where it meets the boundary of district Sonepat.

South: Thence from point 'C' towards west along the district boundary of district Sonepat up to the point 'D' i.e. the point where district boundary of district Sonipat meets with eastern side of Delhi Parallel branch canal.

East: Thence from point 'D' towards north along the eastern side of Delhi Parallel branch canal up to point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana,

Town and Country Planning Department.